6 माइल, सामदुर, तादोंग -737102
गंगटोक, सिक्किम, भारत
फोन-03592-251212, 251415, 251656
टेलीफैक्स -251067
वेबसाइट - www.cus.ac.in

सिक्किम विश्वविद्यालय
SIKKIM UNIVERSITY

6th Mile, Samdur,Tadong -737102
Gangtok, Sikkim, India
Ph. 03592-251212, 251415, 251656
Telefax: 251067
Website: www.cus.ac.in

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

SU/FIN/F-3/136/2018/1164 Dated: 27.09.2018

CIRCULAR 56/2018

The Ministry of Human Resource Development vide letter dated 1st May 2018 has decided to introduce EAT module of PFMS in all Central Universities and for all schemes with effect from 1st July 2018.

Sikkim University has already registered itself in the PFMS Portal. Further each institution has to upload details of all regular payees to whom payments are going to made. The EAT module is likely to benefit the institution by avoiding the problem of submission of UCs from time to time for which details of Teaching Staff including Contractual, Visiting & Guest Faculty, Officers, Staff, Students', Vendors & Contractors are required to be uploaded in the PFMS Portal. All Teachers, Officers, Non-Teaching Staff, Visiting & Guest Faculty, MPhil/PhD Research Scholars, Students', Vendors, Suppliers and Contractors are requested to provide your data in the attached applicable Form in hard copy as well as soft copy.

Form No.	Applicable to	Forwarded by
PFMS – Form No. 1	Vendors, Contractors, Suppliers, Service Providers, Other Institutions, etc.	Not Applicable
PFMS – Form No. 2	All Teachers, Officers, Non-Teaching Staff, Visiting & Guest Faculty including Contractual Teachers & Staff	Not Applicable
PFMS – Form No. 3	MPhil/PhD Research Scholars, UG/PG Students' availing fellowship/scholarship regularly	HoD(s)/In-charge

All concerned are requested to fill the applicable PFMS Form No. 1 to Form No. 3 and submit through their Heads of Department(s) to Finance Department by 12th October 2018. The soft copy shall be forwarded to e-mail id: kchettri@cus.ac.in latest by 12th October 2018. Soft copy of each PFMS Form is available in Sikkim University Website.

(Debasish Pal)
Finance Officer

Enclo: PFMS Form No. 1 to Form No. 3

6 माइल, सामदुर, तादोंग -737102
गंगटोक, सिक्किम, भारत
फोन-03592-251212, 251415, 251656
टेलीफैक्स -251067
वेबसाइट - www.cus.ac.in

सिक्किम विश्वविद्यालय
SIKKIM UNIVERSITY

6th Mile, Samdur,Tadong -737102
Gangtok, Sikkim, India
Ph. 03592-251212, 251415, 251656
Telefax: 251067
Website: www.cus.ac.in

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

SU/FIN/F-3/136/2018/1164 दिनांक: 27.09.2018

परिपत्र 56/2018

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 1 मई 2018 के पत्र के माध्यम से सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में और 1 जुलाई 2018 से प्रभावी सभी योजनाओं के लिए पीएफएमएस के ईएटी मॉड्यूल को प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है। सिक्किम विश्वविद्यालय पहले ही पीएफएमएस पोर्टल में पंजीकृत है। इसके अलावा प्रत्येक संस्थान को सभी नियमित भुगतानकर्ताओं, जिनके लिए भुगतान किए जा रहे हैं, के विवरणों को अपलोड करना पड़ता है। ईएटी मॉड्यूल द्वारा संस्थानों को समय-समय पर उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करने की समस्या से निजात दिलाकर लाभ पहुंचाए जाने की संभावना है जिसके लिए अनुबंध आधारित, विज़िटिंग और अतिथि संकायों सहित शिक्षण कर्मचरियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, छात्रों, विक्रेताओं और ठेकेदारों के विवरणों को पीएफ़एमएस पोर्टल में अपलोड किए जाने की आवश्यकता है। सभी शिक्षकों, अधिकारियों, शिक्षकेतर कर्मचारियों, विज़िटिंग और अतिथि संकायों, एमफिल/ पीएचडी शोधार्थियों, छात्रों, विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों से निवेदन है कि वे संलग्न लागू प्रपत्र में हार्ड कॉपी के साथ-साथ सॉफ्ट कॉपी में अपना तथ्य प्रदान करें।

प्रपत्र सं	लागू	द्वारा अग्रेषित
पीएफ़एमएस - प्रपत्र सं. 1	विक्रेता, ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदाता, अन्य संस्थान आदि	लागू नहीं
पीएफ़एमएस - प्रपत्र सं. 2	सभी शिक्षक, अधिकारी, शिक्षणेतर कर्मचारी, विजिटिंग और अतिथि संकाय सहित अनुबंध आधारित शिक्षक और कर्मचारी	लागू नहीं
पीएफ़एमएस - प्रपत्र सं. 3	एमफ़िल/एचडी शोधार्थी, नियमित फैलोशिप/छात्रवृत्ति का लाभ उठा रहे यूजी/पीजी छात्र	विभागाध्यक्ष/प्रभारी

सभी संबंधितों से निवेदन है कि वे लागू पीएफ़एमएस प्रपत्र सं. 1 से प्रपत्र सं. 3 तक भरे और अपने विभाग के प्रमुख के माध्यम से दिनांक 12 अक्टूबर 2018 तक वित्त विभाग में जमा करें। सॉफ्ट प्रति को दिनांक 12 अक्टूबर 2018 तक ई-मेल आईडी kchettri@cus.ac.in में अग्रेषित किया जाना होगा। पीएफ़एमएस प्रपत्र कि सॉफ्ट प्रति सिक्किम विश्वविद्यालय की वैबसाइट में उपलब्ध है।

देवाशीष पाल

(देवाशीष पाल)
वित्त अधिकारी

संलग्न : पीएफ़एमएस प्रपत्र सं 1 से प्रपत्र सं 3

Distribution:

1. PS to VC for information of Vice-Chancellor
2. PS to the Registrar
3. Librarian
4. Controller of Examinations (I/c)
5. All Deans of School including Dean Students' Welfare
6. All HoD(s)/In-charge to inform all Contractual/Visiting & Guest Faculty
7. All Officers of the University
8. All Teaching Staff
9. All Non-Teaching Staff
10. All Contractual Staff
11. System Analyst with request to upload this Circular alongwith PFMS Form No. 1 to Form No. 3 in Sikkim University Website
12. All Notice Board
13. Guard File